



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]
No. 143]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2002/आषाढ़ 26, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2002/ASADHA 26, 1924

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2002

संदर्भ : भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में 29 अप्रैल, 2002 को यथा-प्रकाशित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में अनिवासी भारतीय/विदेशी राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की श्रेणी/कोटा के अधीन प्रवेश) विनियम, 2002"।

पृष्ठ सं. 3 पर उपखण्ड-3.11 :

"भारतीय मूल के व्यक्तियों" का अर्थ प्रस्तुत संदर्भ में है—ऐसा व्यक्ति जिसके पास विदेशी (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) नागरिकता हो, परन्तु जिसके पास, आवेदन पत्र भेजते समय, प्रवेश हेतु विचार किए जाते समय तथा उसके अध्ययन की अवधि के दौरान भारतीय पासपोर्ट रहा हो अथवा वह या उसके माता-पिता में से कोई एक/दोनों या फिर उसके दादा-दादी में से कोई एक अथवा दोनों भारत के संविधान के उपबंधों अथवा "नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57)" की धारा 2(ख) के अन्तर्गत भारत का/के नागरिक हो/हों या फिर था/थे।

के स्थान पर कृपया निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाए—

"भारतीय मूल के व्यक्तियों" का अर्थ प्रस्तुत संदर्भ में है—ऐसा व्यक्ति जिसके पास 'अनिवासी भारतीय' दर्जे के बिना विदेशी (पाकिस्तान एवं बंगलादेश को छोड़कर) नागरिकता हो, तथा जिसके पास, आवेदन पत्र भेजते समय, प्रवेश हेतु विचार किए जाते समय तथा उसके अध्ययन की अवधि के दौरान विदेशी पासपोर्ट रहा हो अथवा वह या उसके माता-पिता में से कोई एक/दोनों या फिर उसके दादा-दादी में से कोई एक अथवा दोनों, भारत के संविधान के उपबंधों अथवा "नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57)" की धारा 2(ख) के अन्तर्गत भारत का/के नागरिक हो/हों या फिर था/थे।

प्रो. आर. एस. निर्जर, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/IV/162//2002]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th July, 2002

Ref. : All India Council for Technical Education (Admission under Non-Resident Indian/Foreign Nationals/Persons of Indian Origin category/quota in AICTE approved institutions) Regulations, 2002 published in the Gazette of India in Extraordinary Part III, Section 4 on April 29, 2002.

FOR CLAUSE 3.11 AT PAGE No. 9 :

"Person of Indian Origin" (PIO) in this context means a person having foreign citizenship (except Pakistan and Bangladesh) without "NRI" status, but who holds an Indian Passport at the time of sending application, consideration for admission and during the period of his study or he/she or any one/both of his/her parents or any one/both of his/her grand parents is (or was)/are (or were) citizen(s) of India by virtue of the provisions of the Constitution of India or Section 2(b) of Citizenship Act, 1955 (Act No. 57 of 1955).

PLEASE READ :

"Person of Indian Origin" (PIO) in this context means a person having foreign citizenship (except Pakistan and Bangladesh) without "NRI" status, who holds a Foreign Passport at the time of sending application, consideration for admission and during the period of his study, and he/she or any one/both of his/her parents or any one/both of his/her grand parents is (or was)/are (or were) citizen(s) of India by virtue of the provisions of the Constitution of India or Section 2(b) of Citizenship Act, 1955 (Act No. 57 of 1955).

Prof. R.S. NIRJAR, Member Secy.
[ADVT/III/TV/162/2002]